

7-6-22

पत्तावली पेश हुई। वलोक पक्षधारा की अनुपासिका।
वलोक प्रथम पार्थी एवं अपार्थी प्रयोग आशात्म
समय तक बार-बार सायाजलगावाई गई लेकिन
कोई उपासिका नहीं हुई और मा-ही पार्थीत डालना
के अपार्थीगणों की तलबी हेतु तलवाना नोटिस
पेश नहीं किया गया है।

आतः प्रथम का प्रथम पक्ष प्रस्थाई नियोजना
अन्तर्गत धारा 212 श. 2. 10 अपार्थियों की तलबी
हेतु तलवाना नोटिस पेश नहीं किया गया है का अभाव
में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 के तहत लोप
किया जाता है। पत्तावली के तल शुमार होकर नम्वर
से काम होना दालिल दफ्तार हो। निर्णय युक्त
आशात्म में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सॉफ्ट लेक

